निजी स्वार्थ के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल अनुचित है : हाई कोर्ट

- नीट में एनआरआइ कोटा नियम के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट नाराज
- याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत स्वार्थ को जनहित का रूप देने की कोशिश की

रमेश सिन्हा।

बिभू दत्ता गुरु।

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नीट (यूजी) में एनआरआइ कोटे के दुरुपयोग और नए प्रवेश नियमों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को जनहित का रूप देकर अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि को जब्त करने का आदेश भी दिया है। रायपुर निवासी प्रेम नारायण शुक्ला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ मेडिकल, डेंटल एवं फिजिकल ट्रीटमेंट (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम 2025 के नियम 13 (सी) (1) को अवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि एनआरआइ कोटे की सीटों में गड़बड़ी हो रही है, जिससे सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हक मारा जा रहा है और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसके परिवार और रिश्तेदारों के बच्चे नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस कारण यह याचिका व्यक्तिगत हित में दायर की गई है, न कि समाज के व्यापक हित के लिए। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ साधना नहीं हो सकता।

कोविड में ट्यूशन फीस में छूट पाने याचिका लगाने वाले पर जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान आर्थिक संकट का हवाला देकर डीपीएस बालको स्कूल में पढ़ने वाली पुत्री की ट्यूशन फीस में छूट की मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर तथ्यों को छिपाकर याचिका दायर करने का गंभीर आरोप मानते हुए 15,000 का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आदेश में कहा कि, न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना अनिवार्य है और झूठे तथ्यों के आधार पर दायर याचिकाएं न्यायालय के समय की बर्बादी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे प्रयासों से यदि सख्ती से नहीं निपटा गया, तो न्यायिक व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। कोरबा के बालको निवासी ईश्वरीलाल साहू ने याचिका दायर कर बताया कि वह कुमार कार्गो साल्यूशन में श्रमिक हैं, जो बालको को सेवाएं देती हैं और उनके परिवार में वृद्ध व दिव्यांग पिता, माता, पत्नी और बेटी हैं। कोविड काल में आय सीमित होने की बात कहते हुए उन्होंने ट्यूशन फीस में छूट की मांग की थी। डीपीएस स्कूल प्रबंधन ने याचिकाकर्ता के उस काल के वेतन पर्चे न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिससे स्पष्ट हुआ कि उनकी आय में कोई बड़ी कमी नहीं आई थी।